मंत्रालय: संसदीय कार्य मंत्रालय

सारांश:

संगठन द्वारा प्रस्तुत किए गए स्व-परीक्षण का अवलोकन करने से पता चलता है कि काफी हद तक जानकारी प्रदान की गई है। हालाँकि, निम्नलिखित सुनिश्चित किया जाए: -

1. दृष्टि और मिशन के साथ, मंत्रालय के प्रमुख उद्देश्य भी उपलब्ध कराए जाएं (1.1.3)

2. लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समय सीमा निर्दिष्ट की जाए (1.4.4)

3. संगठन में शिकायत निवारण तंत्र के बारे में कोई जानकारी दिए गए लिंक के तहत उपलब्ध नहीं है (1.4.5)

4. स्वयं प्रकटीकरण के भाग के रूप में प्रत्येक कर्मचारी के पारिश्रमिक के साथ-साथ संगठन के सभी कर्मचारियों की पूरी सूची उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उनके ग्रेड और पदनाम और प्रासंगिक वेतनमान का संकेत पर्याप्त नहीं होगा (1.9.1)

5. संगठन ने अपने संपर्क विवरण के साथ केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों और अपीलीय अधिकारियों की सूची उपलब्ध कराई है। हालाँकि, यथापेक्षित सहायक जन सूचना अधिकारियों (यदि मंत्रालय ने कुछ अधिकारियों को नामित किया है) का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है। यदि मंत्रालय में इस तरह के कोई पदनाम मौजूद नहीं हैं तो इसे निर्दिष्ट किया जाए। इसके अलावा, सूची दिनांक 19.08.2019 की है। सेवानिवृत्ति, पदोन्नति और स्थानांतरण/तैनाती के कारण किसी भी बदलाव को प्रतिबिंबित करने के लिए इसे अपडेट किया जाए। (1.10.1-2)

6. केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों/अपीलीय प्राधिकारियों के प्रशिक्षण के संबंध में, इस तरह के संचालित किए गए प्रशिक्षण का विवरण उपलब्ध कराया जाए। (1.12.3)

7. ऐसी कोई भी स्थानांतरण नीति, गोपनीय मामलों के गैर-प्रकटीकरण के अधीन रहते हुए, पब्लिक डोमेन में रखी जा सकती है ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो। (1.13.1)

8. पैरा 2.1 के संबंध में, केवल बजट अनुमान उपलब्ध कराए गए हैं। प्रस्तावित व्यय और संवितरण के बारे में विवरण नहीं दिया गया है।

9. अधिकारियों द्वारा की गई विदेशी यात्राओं का विवरण नहीं दिया गया है (2.2)

10. मंत्रालय इस बारे में जानकारी दे कि जनता विभिन्न दस्तावेजों की हार्ड कॉपी कैसे खरीद सकती है (3.4.2 और 3.5.2)

11. दिए गए लिंक में नियम पुस्तक का हिंदी संस्करण नहीं मिला। (4.1.2)

12. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफ.ए.क्यू.) का एक सेट विभिन्न हितधारकों (4.5.7) की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाए।

चल रही योजनाओं / परियोजनाओं/ कार्यक्रमों का विवरण समेकित रूप में एक जगह उपलब्ध होना चाहिए ताकि वह नागरिकों के लिए सुलभ हो। यदि लोक प्राधिकरण कोई योजना / परियोजना / कार्यक्रम नहीं चला रहा है, तो यह भी निर्दिष्ट किया जाए।

अंत में, मंत्रालय सूचना की एक नकारात्मक सूची तैयार करने पर भी विचार करे जो सूचना का अधिकार अधिनियम के उपबंधों के तहत संगठन द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती है। यह न केवल संगठन के

सूचना के अधिकार संबंधी कार्यभार को कम करेगा बल्कि संभावित आरटीआई आवेदकों को भी स्पष्टता प्रदान करेगा। 40414/2020 /प्रशासन धारा 33